मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 17, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 190 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 196 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

सर्वश्री जितू पटवारी, मुकेश नायक, सदस्यगण द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 1779) पर शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में प्रवेश किया एवं अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गये.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) कुपोषण एवं सिंहस्थ के संबंध में चर्चा कराने विषयक

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – सिंहस्थ में जो घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, उसके प्रमाण हमारे पास है, इस पर आधे घंटे की चर्चा विधान सभा में कराई जाए.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – कुपोषण के संबंध में चर्चा कराने हेतु स्थगन प्रस्ताव एवं नियम 139 की चर्चा की सूचना दी थी. आपने स्वीकार भी किया था कि चर्चा कराएंगे. सिंहस्थ की बात जुलाई, 2016 सत्र में भी आई थी, उस पर चर्चा कराई जाए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लेने संबंधी घोषणा की गई.

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर के अनेक शूटर्स को एयरगन लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने,
(2) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य ने सतना के ग्राम पंचायत रामपुर चौरासी में खेलकूद मैदान का निर्माण करने,
(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के नेमावर में नर्मदा तट पर पक्का शमशान घाट व शेड निर्माण करने,
(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर में रेत का अवैध उत्खनन होने,
(5) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य ने खरगापुर विधानसभा के नगर बल्देवगढ़ में बायपास मार्ग निर्माण न होने,
(6) श्री सतीश मालवीय, सदस्य ने उज्जैन जिले के घटिया विधान सभा क्षेत्र में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र से समस्या उत्पन्न होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

5. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामनिवास रावत, हरदीप सिंह डंग, मुकेश नायक, ओमकार सिंह मरकाम, सचिन यादव, जितू पटवारी तथा मधु भगत आदि सदस्यगण सिंहस्थ के घोटाले की जांच की बात कहते हुए गर्भगृह में आए एवं नारेबाजी की.

अत्यधिक व्यवधान के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा विधानसभा की कार्यवाही मध्याह्न 12.18 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.35 बजे पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर सिंहस्थ प्रकरण पर चर्चा की मांग लगातार की जाती रही तथा व्यवधान के मध्य दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित विषयों पर सदन की कार्यवाही जारी रही.)

6. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(7) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा की हनुमना नगर पंचायत में कार्यालय क्षेत्र में एक भी हैण्डपंप न होने,
(8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी छतरपुर वृत के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मिली भगत करने,
(9) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी के बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नयन करने,
(10) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की ग्राम बुडवा में दान खरीदी केन्द्र खोलने,
(11) श्री मुकेश नायक, सदस्य की पन्ना के शाहपुर में व्यवहार न्यायालय खोले जाने,
(12) श्री वीर सिंह पंवार, सदस्य की भोपाल के नेहरू नगर स्थित पार्कों की जमीन पर अतिक्रमण होने,
(13) श्री संजीव छोटेलाल उइके, सदस्य की नर्मदा नदी प्रदूषण मुक्त एवं शुद्धीकरण करने,
(14) श्री उमंग सिंघार, सदस्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिकारी/कर्मचारी की साख समिति का कटौत्रा बंद करने तथा
(15) श्री सचिन यादव, सदस्य की जिला खरगौन के निमरानी स्थित सेंचुरी यार्न/डेनिम टेक्सटाईल इण्डस्ट्री को बंद करने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II वर्ष 2015-16 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2015-16 पटल पर रखे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, जनसम्पर्क मंत्री ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 पटल पर रखे.

(4) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का ग्यारहवाँ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

(5) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की 16 वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015-16 पटल पर रखी.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल करके आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लेने की घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना", सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज नवीन तहसील कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने नागदा-खाचरौद क्षेत्र के अनेक ग्रामों में केमिकल युक्त पेयजल का प्रदाय होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के सहरिया आदिवासी क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य न किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना व्यवधान के कारण प्रस्तुत नहीं की गई.

9. अध्यक्षीय घोषणा

कालेधन की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कैशलैस लेन-देन का बढ़ावा देने संबंधी प्रशिक्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रंखला के अंतर्गत माननीय सदस्यों के समक्ष "कालेधन की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने संबंधी प्रशिक्षण" का प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम आज गुरूवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे विधान सभा भवन स्थित ऑडीटोरियम में आयोजित किया गया है. प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार की गई है, जिसकी अवधि 30 मिनट रहेगी. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें.

(अपराह्न 1.00 बजे से 3.07 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(4) सर्वश्री अनिल फिरोजिया, सुखेन्द्र सिंह "बन्ना", सदस्यगण ने प्रदेश में डीबीटी योजना से कृषकों को लाभ न मिलने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित करेंगे. श्री सूर्यप्रकाश मीना, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 1	श्री दिनेश राय	30 मिनट
2.	क्रमांक – 18	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	30 मिनट
3.	क्रमांक - 26	श्री आशीष गोविन्द शर्मा	30 मिनट
4.	क्रमांक – 19	श्री जालम सिंह पटेल	30 मिनट
5.	क्रमांक – 6, 8, 11, 20, 22	सर्वश्री सुदेश राय, जितेन्द्र गेहलोत, श्रीमती सरस्वती सिंह, सर्वश्री दिलीप सिंह शेखावत, के.के.श्रीवास्तव	30 मिनट

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ दो वां से एक सौ बाईस वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री अंचल सोनकर, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां तथा अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री कुँवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(3) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(4) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(5) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(6) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(7) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(9) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-भोपाल)
(10) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(11) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)

(12) श्री घनश्याम पिरौनियाँ (जिला-दतिया)
(13) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(14) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खंडवा)
(15) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(16) कु. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(17) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(18) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(19) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(20) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(21) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(22) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(23) श्री नारायण सिंह पवार (जिला-राजगढ़)
(24) श्री गिरीश भंडारी (जिला-नरसिंहगढ़)
(25) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(26) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(27) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(28) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(29) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(30) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(31) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(32) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(33) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(34) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(35) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(36) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(37) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(38) श्री कालू सिंह ठाकुर (जिला-धार)
(39) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(40) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(41) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(42) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(43) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(44) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(45) श्री रामप्यारे कुलस्ते (जिला-मण्डला)
(46) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(47) पं. रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(48) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(49) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(50) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री ने मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

14. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 64, 65, 70, 72, 73, 74 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़, छियालीस लाख, अड़तीस हजार सतासी रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री दिनेश राय
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

अत्यधिक व्यवधान के कारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अपराह्न 4.18 बजे से 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 4.26 बजे पुन: समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

15. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(5) श्री बहादुर सिंह चौहान
(6) श्री बलबीर सिंह डण्डौतिया
(7) श्री कमलेश्वर पटेल

16. बहिर्गमन

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा हेतु उन्हें समुचित समय न देने से असंतुष्ट होकर अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

17. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(8) श्री सूबेदार सिंह रजौधा

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(9) श्री शैलेन्द्र पटेल
(10) श्रीमती शीला त्यागी
(11) डॉ. मोहन यादव
(12) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(13) श्री सुखेन्द्र सिंह
(14) श्री दिलीप सिंह परिहार
(15) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(16) श्री प्रताप सिंह

18. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

19. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(17) श्रीमती ऊषा चौधरी
(18) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(19) श्री जतन उइके
(20) श्री वैलसिंह भूरिया
(21) श्रीमती झूमा सोलंकी
(22) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2016) का पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 6.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 18, शक सम्वत् 1938) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 8 दिसम्बर, 2016